

**बिहार विधान परिषद् से प्राप्त तारांकित प्रश्न**

<p>श्री सुनील कुमार सिंह, माननीय स०वि०प० द्वारा बिहार विधान परिषद् के 188वें सत्र में पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या आर०आर०-06</p> <p>क्या मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-</p>	<p>दिनेश चन्द्र यादव माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना।</p>
<p><b>प्रश्न</b></p>	<p><b>उत्तर</b></p>
<p>।क। क्या यह सही है कि पूर्णियाँ जिला अन्तर्गत सदर थाना के सौरा नदी की तेज धारा की चपेट में आकर दिनांक-28 अगस्त 2014 को सोनु कुमार, पिता-बैधनाथ सिंह की मृत्यु डूबने के कारण हो गयी ;</p>	<p>अस्वीकारात्मक। जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ के प्रतिवेदनानुसार मृतक की मौसी - कमली देवी, पति-उचित साह, ग्रा०-बंगाली टोलासिटी, थाना-सदर, पूर्णियाँ के द्वारा मृतक के संबंध में सदर थाना में आवेदन दिनांक-03.09.2014 को दिया गया। उक्त आवेदन में यह उल्लेख है कि मृतक सोनु कुमार का मानसिक हालत ठीक नहीं था, संभवतः वो पानी में डूबकर मर गया। आपदा जनित हादसा में मृतक सोनु कुमार की मृत्यु का कारण का उल्लेख नहीं किया गया है।</p>
<p>।ख। क्या यह सही है कि वर्ष 2014 में सोनु कुमार की मौत को लेकर पूर्णियाँ सदर थाना में केस संख्या 105/14 दिनांक-03 सितम्बर 2014 दर्ज किया गया है ;</p>	<p>स्वीकारात्मक।</p>
<p>।ग। क्या यह सही कि आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के बावजूद बाढ़ हादसा में डूबकर मृत सोनु कुमार, पिता-बैधनाथ सिंह, ग्राम-गंडौल, अंचल-महिषी, जिला-सहरसा के परिजनों को अब तक कोई सरकारी राहत, अनुदान राशि का लाभ नहीं मिला है ;</p>	<p>प्रश्नगत मामले में मृत्यु के कारण के सत्यापन में पोस्टमार्टम नहीं होने एवं पानी से डूबकर मरने से मृत्यु के कारण का प्रमाणीकरण नहीं होने के फलस्वरूप सरकारी राहत या अनुदान राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है।</p>
<p>।घ। यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार मृतक सोनु के परिजनों को सरकारी राहत या अनुदान राशि देने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?</p>	

**बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग**


ज्ञापांक-01/वि०प०-ता०प्र०-06/2018/...../आ०प्र० पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि-अवर सचिव, बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना को उनके ज्ञापांक- 1978(5)  
दिनांक-08.03.2018 के क्रम में कुल 05 (पाँच) प्रतियों में/संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार,  
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-  
(आमोद कुमार शरण)  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-01/वि०प०-ता०प्र०-06/2018/...../आ०प्र० पटना-15, दिनांक-  
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/-  
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-01/वि०प०-ता०प्र०-06/2018/.....1878...../आ०प्र० पटना-15, दिनांक- 11/7/18  
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाइट पर  
शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
सरकार के अपर सचिव